अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकःएफ.3(8)पोषा/सबला/ICDS/2010/ जयपुर, दिनांकः

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जयपुर, उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर,
जोधपुर, बाडमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर,
झालावाड एवं भीलवाडा।

विषयः– सबला योजनान्तर्गत विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पूरक पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 196/2001 में दिनांक 07.10.2004 को पारित आदेशों के क्रम में विभाग द्वारा समय समय पर आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चो को नाश्ता व अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 70826–892 दिनांक 21.08.2014 द्वारा आगामी तीन माह में ऐसी परियोजनाएं, जिन्हें पूर्व में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था हेतु चयनित किया जा चुका है, किन्तु विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था असफल रहने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है, में पुनः विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने तथा दिनांक 01.04.2015 से समस्त परियोजनाओ में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये गये है।

कुछ उप निदेशको/बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं हेतु विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण सबला योजनान्तर्गत पोषाहार की कम मात्रा के परिवहन एवं भण्डारण में आ रही कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए सबला योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं को भी स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति चाही गई है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिन बाल विकास परियोजनाओं में आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं हेतु विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है, उन परियोजनाओं में सबला योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं को भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जावें। किशोरी बालिकाओं हेतु पूरक पोषाहार की मात्रा एवं मापदण्ड गर्भवती/धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार के समान ही निर्धारित है।

विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना/आंगनबाडी केन्द्रों पर पहले से उपलब्ध पूरक पोषाहार का उपयोग सुनिश्चित कर लिया जावे। विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है।

Sd/-
(डॉ. पृथ्वी)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.3(8)पोषा/सबला/ICDS/2010/ 11379-503 जयपुर, दिनांकः 24.2.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (एसएचजी) महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी,.....।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)